राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप.10(1)नविवि/3/81 जयपुर,दिनांक 24 NOV 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.05.2013 द्वारा अधिसूचित सीकर के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर परिषद, सीकर द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान के संबंध में लिये गये निर्णय के क्रम में सीकर मास्टर प्लान–2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि सीकर के नगरीय क्षेत्र हेतु अनुमोदित मास्टर प्लान–2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान–2031 में किये गये संशोधन का अवलोकन कार्यालय नगर परिषद, सीकर में सभी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। यह मास्टर प्लान–2031 (संशोधित) नगरीय विकास विभाग के वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से
–Sd–
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, सीकर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 24.11.2021 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

24/11/2021
संयुक्त शासन सचिव द्वितीय